कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 692 /36-बी-8(सेहदा पार्क)/2016-17, लखनऊःदिनांकः 22 दिसम्बरः 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
आजमगढ़ वृत्त,

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत योजना "आजमगढ में सेहदा आरक्षित वन का विकास" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग स्वीकृत कराकर रू0 449.94 लाख की स्वीकृति ।

संदर्भः-शासकीय पत्र संख्या-2780/चौदह-4-2016-10/2016,दिनांक 22.12.2016(छायाप्रति संलग्न) एवं इस कार्यालय का पत्रांक पी-571/36-बी-8(सेहदा पार्क)/2016-17, दिनांक 24-11-2016.

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा शासन ने वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या–60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4406-01-102-03 सामाजिक वानिकी (सी0सी0एल0 प्रणाली) के पूंजीलेखा के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य में हो रही बचतों में से रू0 449.94 लाख की बचत से आजमगढ में सेहदा आरक्षित वन का विकास योजनान्तर्गत रू0 449.94 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-2780ए/14-4-2016-10/2016 दिनांक 22-12-2016 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 449.94 लाख (रू0 चार करोड उन्नचास लाख चौरान्नबे हजार मात्र) की स्वीकृति संदर्भित शासकीय पत्र संख्या-2780/चौदह-4-2016-10/2016,दिनांक 22.12.2016 से प्रदान कर दी है।

2- अतः शासन द्वारा उक्त प्रकार स्वीकृत धनराशि रू0 449.94 लाख का आवंटन इस कार्यालय के संदर्भित पत्रांक पी-571/36-बी-8(सेहदापार्क)/2016-17, दिनांक 24-11-2016 के क्रम में वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़ के पत्रांक-1916/6-3-3, दिनांक 02-12-2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आपके अधीनस्थ प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ के उपयोग हेतु निम्न प्रकार किया जाता हैः-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
01-वानिकी-	
800-अन्य व्यय	
05-आजमगढ़ में सेहदा आरक्षित वन का विकास	
24-वृहत निर्माण कार्य	44994000
योगः-05	44994000

(रू0 चार करोड़ उन्नचास लाख चौरान्नबे हजार मात्र)

3- उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग विषयगत योजनान्तर्गत शासकीय पत्र संख्या-2456 /14-4-2016-10/2016, दिनांक 07.11.2016 से शासन द्वारा कुल लागत रू0 499.94 लाख की लागत की अनुमोदित परियोजना तथा वन संरक्षक, आजमगढ वृत्त, आजमगढ के पत्रांक-1916/6-3-3, दिनांक 02-12-2016 में उल्लिखित कार्यमदों पर ही नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/ सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- अनुदान विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के पकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहॉ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

6- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत अनुमोदित भौतिक लक्ष्यों का कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढाये नहीं जायेगें।

7- योजना में व्यय अनुमोदित व्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

9- शासकीय पत्र संख्या-2456/14-4-2016-10/2016, दिनांक 07.11.2016 से शासन द्वारा कुल लागत रू0 499.94 लाख की लागत की अनुमोदित परियोजना तथा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन कार्य कराये जायें।

10- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

12- कृपया समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन एवं इस कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध करायी जाये।

13- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा, जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलबध करा दिया गया हो।

14- प्रत्येक माह की समाप्ति पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक सूचना अगले माह की 02 तारीख तक इस कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करायी जाय। व्यय की मासिक प्रगति सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 में भी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

15- अनुमोदन/संशोधन की प्रत्याशा में कोई भी अनाधिकृत कार्य कदापि न किया जाय।

सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 में भी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

15- अनुमोदन/संशोधन की प्रत्याशा में कोई भी अनाधिकृत कार्य कदापि न किया जाय।

16- इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-692 (।)/36-बी-8(सेहदा पार्क)/2016-17, दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि रू0 449.94 लाख की साख-सीमा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ के पक्ष में जारी करने की कृपा करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-692 (।।)/36-बी-8(सेहदा पार्क)/2016-17, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (द्वितीय), लेखा एवं हकदारी, चतुर्थ तल हाल नं0 2,आडिट भवन टी0सी0 35, वी 1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।
5- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ ।
7- अभिसूचना, सेल, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
8- योजना अनुभाग की गार्ड बुक हेतु।
9- योजना अनुभाग की संबंधित बजट पत्रावली हेतु।

संलग्नकः-यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 692 (III)/36-बी-8(सेहदा पार्क)/2016-17, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्य जीव विभाग, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासकीय पत्र के क्रम में मय संलग्नक सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः-यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22/12/16

D:DATA\AVASHA RAM\B-4\SEHDA PARK-AZAMGARH 2016-17 current 2.docx

संख्या 2780/चौदह-4-2016-10/2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 22 दिसम्बर: 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत योजना "आजमगढ में सेहदा आरक्षित वन का विकास" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग स्वीकृत कराकर रू0 449.94 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या पी-607/36-बी-8(सेहदा पार्क)/2016-17 दिनांक 02-12-2016 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 मे निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या–60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4406-01-102-03 सामाजिक वानिकी (सी0सी0एल0 प्रणाली) के पूंजीलेखा के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य में हो रही बचतों में से रू0 449.94 लाख की बचत से आजमगढ में सेहदा आरक्षित वन का विकास योजनान्तर्गत रू0 449.94 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-2780ए/14-4-2016-10/2016 दिनांक 22-12-2016 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 449.94 लाख (रू0 चार करोड उन्नचास लाख चौरान्नबे हजार मात्र) जो निम्न लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित है, को पुनर्विनियोजन के पश्चात व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
1	2
अनदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
01-वानिकी-	
800-अन्य व्यय	
05-आजमगढ में सेहदा आरक्षित वन का विकास	
24-वृहत निर्माण कार्य	44994000
योग:-05	44994000

(रू0 चार करोड उन्नचास लाख चौरान्नबे हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/ सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के

पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- अनुदान विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के पकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहॉ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

3- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत अनुमोदित भौतिक लक्ष्यों का कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढाये नहीं जायेगें।

4- योजना में व्यय अनुमोदित व्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

6- शासकीय पत्र संख्या-2456/14-4-2016-10/2016, दिनांक 07.11.2016 से शासन द्वारा कुल लागत रू0 499.94 लाख की लागत की अनुमोदित परियोजना तथा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन कार्य कराये जायें।

7- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

9- कृपया समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन एवं इस कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध करायी जाये।

10- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा, जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलबध करा दिया गया हो।

11- प्रत्येक माह की समाप्ति पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक सूचना अगले माह की 02 तारीख तक इस कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करायी जाय। व्यय की मासिक प्रगति सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 में भी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

12- अनुमोदन/संशोधन की प्रत्याशा में कोई भी अनाधिकृत कार्य कदापि न किया जाय।

13- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मि-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14- उक्त धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या पी-607/36-बी-8(सेहदा पार्क)/2016-17 दिनांक 02-12-2016 के उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय तथा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15- बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

16- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष मे कर लिया जायेगा।

17- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त् धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

18- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक निश्चित योजनावार समयबद्ध सारणी भी बनायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- आर ई-274/ई/दस-20/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या- / चौदह-4-2016-10/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) चतुर्थ तल हाल नं0-2, आडिट भवन टी0सी0 35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-3
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
12- अनुभागीय ओदश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ:बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम:-60-वन विभाग-आयोजनागत

वित्तीय वर्ष:-2016-17
(रु० हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूँजी लेखा						पूँजी लेखा					
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत						4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत					
01-वानिकी-						01-वानिकी-					
102-समाज तथा फार्म वानिकी-						800-अन्य व्यय -					
03-सामाजिक वानिकी (सी०सी०एल० प्रणाली)						05-आजमगढ़ में सेहदा आरक्षित वन का विकास					
24-वृहत निर्माण कार्य	2478812	806460	44994	44994	2433818	24-वृहत निर्माण कार्य	4150	44994	44994	44994	49144
योग-पूंजी लेखा	**2478812**	**806460**	**44994**	**44994**	**2433818**	योग-पूंजी लेखा	**4150**	**44994**	**44994**	**44994**	**49144**

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

सामाजिक वानिकी योजना (सामान्य) योजना के मानकमद-24 में बचत हो रही है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

आजमगढ़ में सेहदा आरक्षित वन का विकास योजना के मानक मद-24 में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(मो० जुनैद)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
वन विभाग

संख्या:आर ई: 274/ई- /दस-20 , दिनांक: 22/12/2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
वित्त विभाग।

संख्या-2793/14-4-2016 दिनांक। 22-12-16

1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2-मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
4-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियों में)।

(मो० जुनैद)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन
वन विभाग।